न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 549/2016

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थीगण
1. राजेन्द्र कौर पत्नी जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरसेवक सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरजीत सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर।	1. रणधीर सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरपाल सिंह पुत्र बिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 06.10.2016

उपस्थितः 1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2

--निर्णय-- **दिनांकः** 23/03/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 09/10 के मुरब्बा नम्बर 37 के 6.325 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 49 के 3.162 हैक्टर कुल 9.487 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जो प्रार्थीगण का एकल खाता है। जिस पर प्रार्थीगण लगातार, शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की अच्छी भूमि व अधिक कीमत वाली भूमि मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर नहरी भूमि पर धक्के से काबिज काश्त होना चाहते है। जिसके लिए वे कई बार असफल प्रयास भी कर चुके है तथा उक्त भूमि पर काबिज होने की धमकियां देते रहते है। प्रार्थीगण दिनांक 04.10.2016 को अप्रार्थीगण से मिले तथा उन्हें कहा कि वे हमारी खातेदारी कब्जाशुदा भूमि मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर नहरी भूमि में कब्जा करने से बाज व ममनू रहे तो अप्रार्थीगण ने कहा कि मैनें तो तुम्हारी उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करके तुम्हारी भूमि को खुर्द-बुर्द कर देना है। तुमने जो करना है कर लो। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की एकल खाता की खातेदारी भूमि को बेचान करने या भूमि पर काबिज होने में कामयाब हो गए तो प्रार्थीगण अपनी भूमि से महरूम हो जायेगे। तथा प्रार्थीगण को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थीगण स्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को रोके जाने के अधिकारी है। यही वाद कारण है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर जारी की जावें कि चक 2 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 09/10 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.253 हैक्टर नहरी भूमि पर अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जा में स्वंय दखल अंदाजी करने या किसी अन्य व्यक्ति से दखल अंदाजी करवा पाने से बाज व

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:31:51 IST
Reason: SelfAttested

23/03/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

ममनू रहें। तथा उक्त भूमि में घुसकर कोई निर्माण करने या खाला आदि निकालने से बाज व ममनू रहे। मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। जबाव प्रार्थना पत्र बन्द होने के बाद अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो अप्रार्थीगण के निवेदन पर सामिल पत्रावली नहीं किया गया।

हमने अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। पत्रावली प्रार्थना पत्र, पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 चक 2 डब्ल्यू के खाता संख्या 09/10 का गहनतापूर्वक अध्ययन एंव अवलोकन करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अवलोकन किया। हम प्रकरण का निर्णयन निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर करना विधिसंगत समझते है:-

1.प्रथम दृष्टया मामला:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं। चूंकि चक 2 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 09/10 में प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है, एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त खाता में खातेदार काश्तकार नहीं है। चक 2 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 09/10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के एकल खाता की भूमि है। लिहाजा वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के एकल खाता की भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचनों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला भली भांति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता

2.सुविधा का संतुलन:- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थीगण/वादीगण को अधिकतम असुविधा होगी । चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं, अप्रार्थीगण खातेदार नहीं है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष साबित होता है।

3.अपूरणीय क्षतिः- उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुए है। चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण/वादीगण को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थी/प्रति[illegible] परिवर्तन करने से वादीगण/प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अ[illegible] हस्तग[illegible] र्थना पत्र के आलोक में अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:51 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकर[illegible] के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने के कारण मूलवाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

23/03/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

राजेन्द्र कौर आदि बनाम रणधीर सिंह आदि
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 549/2016

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि चक 2 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 09/10 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.253 हैक्टर नहरी भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें एवं उक्त भूमि पर मौके पर कोई मौजूदा रास्ता सुखाचार से चल रहा है तो उसे प्रार्थीगण बंद नहीं करेगें व किसी भी विभागीय योजना में यदि किसी खाला इत्यादि का निर्माण नियमानुसार इस भूमि में होना है तो उस पर यह स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

23/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 23/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

23/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:51 IST
Reason: SelfAttested